न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अभिलेखाधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : संदीप कुमार, आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या : 97/2010 **दायरा दिनांक : 30/07/2010**

अनवान :–

ख्यालीराम पुत्र श्री लेखराम जाति मेघवाल निवासी फतुई हाल आबाद चक 1 एल.एम. खेत में ढ़ाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— **अपीलार्थी**

ब ना म्

1. श्री दुलाराम, 2. श्री हंसराज } पुत्रगण श्री ख्यालीराम अकवाम् मेघवाल निवासीयान रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. श्री हेतराम (फौत)
3/1 श्री दाराराम पुत्र श्री हेतराम
3/2 श्री विनोद पुत्र श्री हेतराम
3/2 मंजु पुत्री श्री हेतराम } अकवाम् मेघवाल निवासीयान रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. उप–पंजीयक, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
7. श्रीमति बाधू देवी पत्नी स्व0 श्री साधुराम जाति मेघवाल निवासी रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. श्री बनवारीलाल, 9. श्री भालाराम, 10. श्री दौलतराम } पुत्रगण स्व0 श्री साधुराम अकवाम् मेघवाल निवासीयान रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
11. श्रीमती पप्पी देवी पुत्री स्व0 श्री साधुराम जाति मेघवाल निवासी रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
12. श्रीमती सोमा देवी पुत्री स्व0 श्री साधुराम जाति मेघवाल निवासी रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

——**उत्तरवादीगण**

एवम्

(2) अपील संख्या 152/2010 **दायरा दिनांक 12/11/2010**

अनवान् :

हेतराम पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी रोहिड़ावाली तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

—— **अपीलार्थी**

ब ना म्

1. सरपंच, ग्राम पंचायत गोविन्दसर, पंचायत समिति सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. दुलाराम पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी रोहिड़ावाली तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
3. साधुराम पुत्र ख्यालीराम (मृतक)
3/1 बाधु देवी बेवा साधुराम
3/2 बनवारी पुत्र साधुराम
3/3 पप्पी देवी, 3/4 सोमा देवी } पुत्रीयां साधुराम
3/5 भालाराम, 3/6 दौलतराम } पुत्रगण साधुराम
अकवाम् मेघवाल निवासीयान रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. हंसराज पुत्र श्री ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी रोहिड़ावाली तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
5. भागी देवी, 6. गुड्डी } पुत्रीयां ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी रोहिड़ावाली तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

——**उत्तरवादीगण**

अपील अंतर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्व आदेश सरपंच, ग्राम पंचायत गोविन्दसर तहसील सूरतगढ़ जिसके द्वारा चक 1 एल.एम. के राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत इंतकाल सं. 110 दिनांक 30.06.2010 विरास्तन स्वीकृत किया गया है।

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपस्थित :–

1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, वकील अपीलांट।
2. श्री भागीरथ बिश्नोई, वकील रेस्पोडेंट सं. 1, 2 व 5
3. एकपक्षीय कार्यवाही आदेश विरूद्ध रेस्पोडेंन्ट सं. 3/1 ता 3/3 व 7 ता 12
4. पैरोकारराज – तहसीलदार, सूरतगढ़ रेस्पोडेंट सं. 4

निर्णय दिनांक : 26.02.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई। उक्त दोनों प्रकरणों के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलांट ख्यालीराम पुत्र लेखराम जाति मेघवाल निवासी फतूही हाल आबाद चक 1 एल.एम. खेत में ढ़ाणी तहसील सूरतगढ़ के द्वारा अपनी अपील संख्या 97/2010 अनवान् ख्यालीराम बनाम् लेखराम वगै0 की प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि चक 1 एल.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नम्बर 224/50 कि. नं. 1 ता 22 = 22–00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि उसे कीमतन पुख्ता आवंटन बतौर भूमिहीन की गई। जिसमें वह ढ़ाणी बनाकर अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है। इस भूमि की समस्त किस्ते राजकीय कोष में जमा करवाने के पश्चात अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार भी मिल चुके है। यह भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि की खातेदारी सनद और जमाबन्दी व गिरदावरी सम्वत् 2063 ता 2066 की और मतदाता पहचान–पत्र, राशन कार्ड, चालानों आदि की नकलें प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी के कब्जा काश्त वाली भूमि का रेस्पोडेंटस संख्या 1 ता 3 के द्वारा अपीलार्थी का नाम और अपीलार्थी के पिता का नाम एवं जाति की समानता का फायदा उठाकर ग्राम रोहिड़ावाली तहसील श्रीगंगानगर निवासी श्री ख्यालीराम, अपने पिता के देहान्त का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करके पटवारी हल्का से मिलकर उत्तरवादीगण ने अपने व अन्य वारिसान के नाम बतौर जायज वारिस स्व0 ख्यालीराम की भूमि बताकर चक 1 एल.एम. कि. नं. 1 ता 22 = 22–00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 30.06.2010 को जन समस्या समाधान शिविर में सरपंच उत्तरवादी संख्या 05 को धोखा देकर पटवारी हल्का ने तस्दीक करवा लिया है। जबकि उक्त भूमि का आवंटिती और खातेदारी अपीलांट जीवित है और मौका पर भूमि में ढ़ाणी बनाकर निवास करते हुये अपनी भूमि में काश्त करता आ रहा है। ग्राम पंचायत गोविन्दसर द्वारा जारी जीवित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 110 नियम, रिकार्ड एवं वास्तविक तथ्यों के विपरीत स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी काके इसके बारे में पता चलते ही उत्तरवादी संख्या 05 को जब सारी कहानी बताई तो उनके द्वारा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के समक्ष अपीलार्थी के साथ्ज्ञ उपस्थित होकर शिविर में भीड़ होने के कारण भूलवश एवं कार्य की अधिकता के कारण अपीलार्थी की जीवितावस्था में उसे मृतक दर्ज करते हुये नामान्तरकरण सं. 110 दिनांक 30.06.2010 को वारिसान के नाम गलत स्वीकृति प्रदान करना दर्शित किया है। उक्त नामान्तरकरण गलत स्वीकृत किये जाने के कारण अपील स्वीकृत कर इसे निरस्त कर अपीलार्थी के नाम से उक्त भूमि अंकित किये जाने और उत्तरवादी सं. 1 ता 3 एवं पटवारी हल्का के विरूद्ध रिकार्ड में तोड़ा फोड़ी करने का फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाये जाने का निवेदन किया गया। इस अपील को दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 30.07.2010 को भूमि को रहन, बैय नहीं करने और रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने और रेस्पोडेंटस को तलब किये जाने के आदेश पारित किये गये।

यह कि उक्त चक 1 एल.एम. तहसील सूरतगढ़ के प. नं. 224/50 की 5.251 है0 कमांड/अनकमांड भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड में सरपंच, ग्राम पंचायत गोविन्दसर द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 110 दिनांक 30.06.2010 के विरूद्ध एक अपील संख्या 152/2010 अनवान् हेतराम बनाम् सरपंच, ग्राम पंचायत गोविन्दसर वगैरहा की अपीलार्थी हेतराम पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–96 सी.पी.सी. व धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त भूमि ख्याली के स्वर्गवास हो जाने के बाद आधे–अधूरे वारिसों के नाम विरास्तन इंतकाल तस्दीक किया गया है। ख्यालीराम का दिनांक 23.03.2000 को स्वर्गवास होने के पश्चात उसके कुल 6 वारिस दुलाराम – पुत्र, साधुराम – पुत्र (मृतक), हेतराम – पुत्र, हंसराज – पुत्र, भागी देवी – पुत्री, गुड्डी देवी – पुत्री हैं। साधुराम के वारिस बाधु देवी – बेवा, बनवारी – पुत्र, पप्पी देवी – पुत्री, सोमा देवी – पुत्री, भालाराम – पुत्र व दौलतराम – पुत्र हैं। उत्तरवादी सं. 2 दुलाराम ने गलत शपथ देकर या गलत ब्यानी करके सरपंच, ग्राम पंचायत, गोविन्दसर उत्तरवादी सं. 1 से व हल्का पटवारी से मिलीभगत करके केवल दो वारिसों दुलाराम व मृतक साधुराम के वारिसों के नाम से भूमि अंकित करवायी है, जो कि गलत है। इसलिये उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर समस्त छः वारिसों के नाम विरास्तन नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश पारित किया जावे। इस अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को तलब किये जाने के आदेश पारित किये गये। इस अपील में ख्यालीराम के द्वारा दिनांक 11.02.2011 को बतौर उत्तरवादी के रुप में पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 01.12.2011 को स्वीकार करते हुये एक ही आदेश नामान्तरकरण सं. 110 दिनांक 30.06.2010 में अंकित समान भूमि व समान पक्षकारान के विरूद्ध दो अलग–अलग अपीलें विचाराधीन होने के कारण इस अपील को पूववर्ती अपील सं. 97/2010 अनवान् ख्यालीराम बनाम् दुलाराम के साथ Club करने के आदेश पारित किये गये।

लगातार 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अपील संख्या 97/2010 अनवान् ख्यालीराम बनाम् दुलाराम वगै0 में अपील के समय अपीलाधीन आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई थी जो बाद में प्रापत होने पर पेश किये जाने पर शामिल मिसल किये जाने के आदेश पारित किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 व 5 जरिये अभिभाषक उपस्थित हुये। रेस्पोडेंट हेतराम के स्वर्ग सिधारने पर उनके वारिसान को बतौर उत्तरवादी सं. 3/1 ता 3/3 के रुप में पक्षकार बनाया जाकर तलब किया गया। अपील चलन के दौरान साधुराम जो रेस्पोडेंट का भाई था अपील में त्रुटिवश पक्षकार ना बनाये जाने के कारण उसकी मृत्युपरान्त वारिसान को पक्षकार रेस्पोडेंट सं. 7 ता 12 के रुप में पक्षकार बनाकर तलब किया गया। रेस्पोडेंट सं. 7 ता 12 के विरूद्ध दिनांक 24.12.2012 को व रेस्पोडेंट सं. 3/1 ता 3/3 हेतराम के वारिसान द्वारा, बाद तामील हाजिर नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के दिनांक 17.09.2015 को आदेश पारित किये गये। रेस्पोडेंट सं. 5 के द्वारा स्वयं उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश तथ्यों को छिपाकर बरवक्त अभियान भीड़ का लाभ उठाकर पटवारी हल्का द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर धोखे से तस्दीक करवाया गया है। जो आवंटी है वह फतूही का है जबकि मृतक जो बताया गया है वह रोहिडावाली का रहने वाला है। जिस खातेदार को मृतक बताया गया है वह जीवित है। वास्तविक खातेदार ख्यालीराम फतूही का रहने वाला है और खेत में निवास कर रहा है। पटवारी हल्का द्वारा कूटरचित मृत्यु प्रमाण–पत्र व वारिस प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत से नामान्तरण तस्दीक करवाया गया है जिसका पता चलते ही लिखित सूचना दूसरे दिन श्रीमान् उपखण्ड़ अधिकारी, सूरतगढ़ व श्रीमान् जिला कलैक्टर, श्रीगंगानगर को प्रेषित कर दी थी कि जिस खातेदार को मृतक बताया गया है वह जिन्दा है और मौका पर खेत में निवास करके काश्त कर रहा है। इसलिये स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त किया जावे। इस प्रकरण में पटवारी हल्का को निलम्बित किया जा चुका है। जवाब अपील सं. 152/2010 में संलग्न है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

यह कि उक्त दोनों अपीलें एक ही आदेश चक 1 एल.एम. तहसील सूरतगढ़ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 110 दिनांक 30.06.2010 के विरूद्ध अलग अलग प्रस्तुत होने के कारण इनमें एक साथ सुनवाई करते हुये निर्णित की जा रही है।

उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के अतिरिक्त मौखिक तर्क सुने गये। अपीलांट के पूर्व अभिभाषक राजेन्द्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत मूल अपील के तथ्यों को दोहराते हुए लिखित तर्क दिया कि अपीलांट के पिता के दो नाम थे लेखराम उर्फ लिछमणराम दोनों नाम चलन में थे। यह वे पूर्व में प्रकट कर चुके है। जो किश्त जमा करवाते समय आवंटन अधिकारी को अवगत करवा दिये गये थे। इसी आधार पर उन्हें किश्तें जमा करवाने का नोटिस भी दिया गया था। यह तथ्य भी स्पष्ट है कि मृतक ख्यालीराम का निवास स्थान रोहिड़ावाली था जबकि आवंटन ख्यालीराम पुत्र लेखराम जिसके पिता को लिछमण भी कहा जाता था फतूही का निवासी था एवं इसी निवास के आधार पर आवंटन हुआ है। साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है। अभिभाषक अपीलांट राजेन्द्र शर्मा के पश्चात अपीलांट के वर्तमान अभिभाषक ने पूर्व कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि समस्त किश्तें अपीलांट ने खजानाराज में जमा करवाई है। ये किश्तें ख्यालीराम पुत्र लेखराम उर्फ लिक्ष्मणराम निवासी फतूही द्वारा जमा करवाई गई है। असल चालान की प्रतियां भी तर्क के समय प्रस्तुत की। इसी प्रकार मौका पर कब्जा के प्रमाण स्वरुप असल राशनकार्ड, जॉबकार्ड, रकम जमा के चालान, पट्टा खातेदारी, खेत में रिहायश संबंधी फोटो, पानी की पर्चियां, राजस्व व सिंचाई रकम जमा करवाये जाने की रसीदें, सरपंच की तस्दीक, वोटर पहचान–पत्र, अपने नाम की जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी की नकले, रकबा किश्त अभाव में खारिज हो जाने पर बहाली हेतु पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट की नकल, नकल आदेश बकाया किश्तें मय शास्ति जमा करवाने, तहसील सूरतगढ़ में समस्त किश्तें जमा करवाने की तस्दीक, पंचायत शिवपुर, फतूही सरपंच से दिनांक 15.12.2010 की तस्दीक जिससे फतूही व रोहिड़ावाली अलग अलग पंचायतें हैं, स्वयं व परिवार की सन् 1971 की मतदाता सूची, उत्तरवादीगण की सन् 1958, 1971, 1980, 1988, 1998 की मतदाता सूची की नकलें, उत्तरवादी दारा के पुत्र रामेश्वरलाल के द्वारा दर्ज करवाई गई विवादित अंतकाल की प्रथम सूचना रिपोर्ट और स्वीकृत एफआर के प्रार्थना–पत्र आदि प्रस्तुत किये है। जो कि अहम साक्ष्य बताते हुए व तत्कालीन सरपंच द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण निरस्त करने की प्रार्थना की गई और ध्यान दिलाकर अपील अपीलांट स्वीकार करने की प्रार्थना की। साथ ही निवेदन किया कि नामान्तरकरण बिना मौका कब्जा व आवंटिती जो अंकित खातेदार काश्तकार है को बिना सुने, बिना जांच किये स्वीकृत किया गया है जो कि प्रारम्भिकतः गलत है। अपने कथनों के समर्थन में अपीलांट द्वारा न्याय निर्णय RRD 2006 P. No. 280 Rev. Board, RBJ 2011 P. No. 253 Rev. Board., RBJ 2004 P. No. 661 Raj. H.C. व RBJ 1998 P. No. 188 प्रस्तुत किये गये। इसके अतिरिक्त मौखिक निवेदन किया कि अपील में कम्प्यूटर टंकणकर्ता द्वारा अपीलांट की भूमि 20–15 बीघा के स्थान पर टंकण त्रुटिवश 22–00 अंकित कर दी गई है जिसे 20–15 बीघा पढ़ा जावे।

रेस्पोडेंट नं. 1, 2 व 5 के योग्य अभिभाषक ने अपने पूर्व लिखित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ख्यालीराम के पिता का नाम लेखराम ना होकर लिछमण है। उपनिवेशन विभाग द्वारा लाटरी निकालने की आवंटन पत्रावली से ही सही तथ्य प्रकट हो सकते हैं जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं हो रही है, जो सन्देहजनक है। पत्नि व पुत्रों के नाम के साथ अब समानता लाने के लिये उर्फ लगवाया है। असली

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

लगातार 4 पर

आवंटिती का नाम ख्यालीराम पुत्र रामलाल था जो अब फौत हो चुका है। मौजूदा अपीलांट ग्राम हांसलिया का रहने वाला है जिसमें उसके पिता का नाम लेखराम व पत्नी का नाम चावली दर्ज है। अपीलांट ने पत्नी का नाम अब मामकोरी गलत दर्ज करवाया हैं। ख्याली के पिता का हांसलिया में नाम लिछमण था तो चक 1 एल.एम. में लेखराम किस प्रकार हो गया। अपीलांट हांसलियां हरदयालपुरा का रहने वाला है वहां से सही तथ्यों की जांच करवाई जा सकती है। इसलिये अपील अपीलांट निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

अपील संख्या 152/2010 अनवान् हेतराम बनाम् सरपंच वगै0 में अपीलार्थी हेतराम द्वारा धारा–96 सी.पी.सी. व धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपील पेश की है किन्तु अपील प्रस्तुती के बाद अपीलार्थी का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलार्थी के वारिसान पर अपील सं. 97/2010 अनवान् ख्यालीराम बनाम् दूलाराम वगै0 में नियमानुसार तामील होने के पश्चात भी वे उपस्थित नहीं आये और ना ही उनके द्वारा कई तर्क/बहस द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है इसलिये उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा–96 सी.पी.सी. व धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकृति योग्य नहीं पाये जाते हैं।

मूल अपील संख्या 97/2010 में विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनने के पश्चात तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन और न्याय निर्णयों के पठन व मनन करने पर यह पाया जाता है कि यह तथ्य साक्ष्य से पूर्ण रुप से सिद्ध होता है कि चक 1 एल.एम. पत्थर नं. 224/50 में 22–15 बीघा कमाण्ड/अनकमांड भूमि का आवंटन ख्याली पुत्र लेखराम जाति मेघवाल निवासी फतूही जिला श्रीगंगानगर को हुआ एवं इस आवंटन पेटे समस्त किश्तें अपीलांट द्वारा जमा करवाई गई एवं मौके पर उसका कब्जा काश्त है व वर्ष–2003 से पूर्व वह प्रश्नगत भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है। वर्तमान नामान्तरण संख्या 110 दिनांक 30.06.2010 जो ख्यालीराम को मृतक मानकर उसके वारिसों के नाम अंकित करने के आदेश सरपंच गोविन्दसर द्वारा दिये गये है उसे स्वयं सरपंच ने पटवारी हल्का द्वारा धोखे से रेस्पोडेंटस के साथ मिलीभगत कर अभियान में भीड़ का फायदा उठाकर गलत व कूटरचित, मृत्यु व वारिस प्रमाण–पत्र के आधार पर स्वीकृत करवा लिये जाने और इसकी जानकारी अगले ही रोज जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को दिये जाने एवं आवंटी ख्यालीराम जीवित होने और मौका पर निवास करते हुए काबिज होकर काश्त करने की सूचना दिये जाने और पटवारी हल्का को इस कृत्य के लिये निलम्बित कर दिये जाने व नामान्तरण जो गलत तस्दीक हुआ है उसे निरस्त करने हेतु अदालत में निवेदन किया है। रेस्पोडेंट द्वारा भूमि पर कब्जा होने अथवा उसकी किश्तें जमा करवाने का किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जहां तक आवंटन का सम्बन्ध है आवंटन ख्यालीराम को फतूही का निवासी बनाकर किया गया है। यह विवाद रहित है कि रेस्पोडेंट का पिता ख्यालीराम रोहिड़ावाली का निवासी था व गांव रोहिड़ावाली एवं फतूही अलग–अलग गांव व अलग–अलग पंचायत है। अपीलांट ख्यालीराम द्वारा रेस्पोडेंट के पिता व परिवार से संबंधित मतदाता सूचीयां भी प्रस्तुत की हैं जिनसे भी यह पूर्ण रुप से संदेह से परे मानने योग्य है कि ख्याली पुत्र लेखराम (मृतक) फतूही का निवासी नहीं था उसे आवंटन नहीं हुआ माना जाता है। अपीलांट अपने आपको फतूही एवं वर्तमान निवासी 1 एल.एम. का दर्शाता है उसके राशन कार्ड, जॉब कार्ड आदि 1 एल.एम. तहसील सूरतगढ़ से बने है। भूमि की किश्तें जमा करवाने के असल चालान, राजस्व रकम व सिंचाई विभाग की रकम जमा करवाने की असल रसीदें, असल खातेदारी सनद, किश्त अभाव में खारिज रकबा की बहाली बाबत पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट, बहाली आदेश, तहसील कार्यालय के टीआरए द्वारा समस्त किश्तें जमा करवाने की तस्दीक इत्यादि प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त सरपंच, ग्राम पंचायत गोविन्दसर द्वारा भी अपीलांट का ही मौका पर कब्जा आवंटन से लेकर लगातार चला आना माना है जिससे मौका पर कब्जा अपीलांट का होना सिद्ध है। पूर्व में आवंटन एवं कब्जा संबंधी जांच नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व सरपंच द्वारा नहीं की गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय RRD 2006 P. No. 280 Rev. Board, Title : Moolchand & Ors V/s Sualal & Ors :– Mutation under the consideration was attested on the application submitted for correction of entries which can not be done without following complete judicial procedure – attestation of mutation is out of jurisdiction & ab nitio void (Para No. 6, 7). RBJ 2011 P. No. 253 Rev. Board., Title : Anil Kumar Jain V/s State of Raj :– At the time of attesting mutation of land the purchaser in whose name mutation is attested should be in possession of the land (Para No. 11 to 13). RBJ 2004 P. No. 661 Raj. H.C., Title : Budhan V/s Board of Revenue & Ors :– Provision of Section 133 to 135 Rajashtan Land Revenue Act, 1956 can not be invoked to make alteration in the land records by referring to a pre-existing right, which has not arisen after the entry was recorded so as to alter the presumption arising in respect to existing entries about their being true के अनुसार कब्जा होने पर ही नामान्तरकरण अन्य व्यक्ति के नाम से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपीलांट को बिना सूचना दिये व बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय RBJ 1998 P. 188 Rev. Board Title : Bena & Ors V/s Devi :– Order passed without issuing notice to the affected party is against the principal of natural justice जबकि नियमानुसार अधिकारिक व्यक्ति को तलब कर सुनवाई के पश्चात व मौका पर कब्जा की जांच कर ही नामान्तरकरण नियमानुसार तस्दीक किया जा सकता है। नामान्तरकरण जीवित व काबिज व्यक्ति को मृत बताकर किया गया है जो कि प्रथम दृष्टया निरस्ती योग्य है। इसलिये न्यायहित में अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

लगातार 5 पर

मुख्य रुप से समस्त परिस्थितियों पर विचारण के पश्चात विवादग्रस्त नामान्तरण संख्या 110 दिनांक 30.06.2010 बाबत मृतक ख्यालीराम पुत्र लेखराम जाति मेघवाल खातेदार की भूमि चक 1 एल.एम. प. नं. 224/50 किला नं. 1 ता 22 की 5.251 है0 का आवंटिती ख्यालीराम को मृत बताकर रेस्पोडेंट द्वारा अपने नाम से अंकित करवाया गया है जो कतई कायम रहने योग्य नहीं है। रेस्पोडेंट सं. 1 दूलाराम के पुत्र रामेश्वरलाल के द्वारा जैर अपील में अंकित नामान्तरण सं. 110 दिनांक 30.06.2010 को लेकर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 236/2010 पुलिस थाना राजियासर में जरिये अदालत परिवाद पेशकर दर्ज करवाई गई थी जो बाद जांच झूठी पाये जाने पर अंतिम रिपोर्ट पेश होने पर अदालत द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। उक्त समस्त साक्ष्यों से साबित है कि रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट खातेदार की कृषि भूमि का उसके जीवित रहते केवल पिता के नाम व जाति की समानता का लाभ उठाते हुए विरास्तन गलत नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाया गया है जो कि गलत एवं विधि विरूद्ध है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट संख्या 97/2010 अनवान् ख्यालीराम बनाम् दूलाराम वगै0 स्वीकार करते हुए सरपंच, ग्राम पंचायत गोविन्दसर द्वारा चक 1 एल.एम. तहसील सूरतगढ़ के प. नं. 224/50 के किला नं. 1 ता 22 की 5.251 है0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड खातेदारी अपीलांट के नाम से अंकित एवं उसके कब्जा काश्त में चली आ रही भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट को मृतक बताकर स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 110 दिनांक 30.06.2010 जो रेस्पोडेंट के नाम से स्वीकृत किया गया है को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते है और इस निरस्ती के आदेश के फलस्वरुप नामान्तरण में पूर्व की स्थिति कायम कर ख्यालीराम पुत्र लेखराम जाति मेघवाल निवासी फतूही के नाम से चक 1 एल.एम. पत्थर नं. 224/50 के किला नं. 1 ता 22 की 5.251 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार, सूरतगढ़ के नाम से पारित किये जाते है। इसके साथ ही अपील संख्या 97/2010 में जैर अपील आदेश निरस्त किया जा चुका है। इसी अनुसार अपील संख्या 152/2010 अनवान् हेतराम बनाम् सरपंच वगै0 में उक्त अपील के अनुसरण में यह अपील निष्फल (INFRUCTUOUS) होने से निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। उक्त दोनों अपीलें इकजाई कर निर्णय होने से निर्णय की प्रति दोनों अपीलों में रखी जावे। उक्त आदेशों की पालना में अलग से तहरीर जारी की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

आज दिनांक 26.02.2024 को मेरे द्वारा यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)